जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना मंडावली   दिनांक 13.04.2025

थाना मंडावली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 39/2025 धारा 115(2)/352/351(2) बी0एन0एस0 से संबंधित 03 अभियुक्तगणों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

अवगत कराना है कि थाना मंडावली क्षेत्रांतर्गत ग्राम भागूवाला में शमशाद पुत्र नसीर निवासी ग्राम नारायणपुर थाना मंडावली जनपद बिजनौर की कपडे की दुकान पर उनका पुत्र शानेआलम बैठता है। सादिक पुत्र शकील निवासी काठपुर थाना मंडावली जनपद बिजनौर कपड़े खरीदने दुकान पर आया था । शानेआलम द्वारा सादिक से पूर्व की उधारी की राशि मांगने पर दोनों के बीच कहासुनी हुई । इस दौरान सादिक ने अपने 2-3 साथियों को फोन कर बुलाया, जिनके द्वारा मौके पर पहुंचकर शानेआलम के साथ मारपीट की गयी । इस संबंध में दिनांक 13.04.2025 को थाना मडांवली पर मु0अ0सं0 39/2025 धारा 115(2)/352/351(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही –

थाना मंडावली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 39/25 धारा 115(2)/352/351(2) बीएनएस से संबधित 03 अभियुक्तगणों 01- समीर पुत्र दाऊद 02- अफसार पुत्र वकील अहमद 03- मौ0 रिहान पुत्र मौ0 रमजान निवासीगण ग्राम कांठपुर थाना मण्डावली जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

01. समीर पुत्र दाऊद निवासी ग्राम कांठपुर थाना मण्डावली जनपद बिजनौर
02. अफसार पुत्र वकील अहमद निवासी ग्राम कांठपुर थाना मण्डावली जनपद बिजनौर
03. मौ0 रिहान पुत्र मौ0 रमजान निवासी ग्राम कांठपुर थाना मण्डावली जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- थाना प्रभारी श्री रामप्रताप सिंह, थाना मंडावली जनपद बिजनौर ।
2- उ0नि0 श्री संजय कुमार थाना मंडावली जनपद बिजनौर ।
3- आरक्षी मोनू थाना मंडावली जनपद बिजनौर ।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर **दिनांक – 13.04.2025**

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 319/25 धारा 125 बीएनएस से संबंधित दो अभियुक्तो को घटना मे प्रयुक्त अवैध तमन्चे सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 12.04.2025 को वादिनी जोकि हीलर्स अस्पताल, बिजनौर मे मैनेजर के पद पर तैनात है, ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि हीलर्स अस्पताल मे ही तैनात रहे पूर्व कर्मचारीगण 1.कार्तिक व 2.रूस्तम द्वारा अस्पताल के आपातकालीन द्वार के सामने हवाई फायर किया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 319/25 धारा 125 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.कार्तिक पुत्र सुशील कुमार निवासी मौ0 चौधरियान कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर व 2.आशीष उर्फ रूस्तम पुत्र रविन्द्र सिंह निवासी मालती नगर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को घटना मे प्रयुक्त एक अवैध तमन्चा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग मे धारा 3/25 आयुध अधिनियम की वृद्धि की गई। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.कार्तिक पुत्र सुशील कुमार निवासी मौ0 चौधरियान कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

2.आशीष उर्फ रूस्तम पुत्र रविन्द्र सिंह निवासी मालती नगर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

बरामदगी –

घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमन्चा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त कार्तिक उपरोक्त –

1.मु0अ0सं0 271/16 धारा 323/452/504/506 भादवि थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

2.मु0अ0सं0 319/25 धारा 125 बीएनएस व धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना को0 शहर जनपद बिजनौर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त आशीष उपरोक्त –

1.मु0अ0सं0 319/25 धारा 125 बीएनएस व धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना को0 शहर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 सुशील कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

2.मुख्य आरक्षी अमित थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

3.आरक्षी सन्दीप कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

4.आरक्षी अक्षय मलिक थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।